



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012021-224382
CG-DL-E-14012021-224382

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2021/पौष 23, 1942

No. 105]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2021/PAUSHA 23, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2021

का.आ. 125(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2658 दिनांक 07.08.2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के यादगीर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 150 के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 70.90 (कालाबुरागी-वाडी-यादगीर खंड) तक के भूखण्ड के निर्माण, (चौड़ीकरण / चार लेन आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14.10.2020" को "

कन्नड़ प्रभा" और "इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के यादगीर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 150 के कि.मी. 34.00 से कि.मी. 70.90 (कालाबुरागी-वाडी-यादगीर खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: यादगीर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: यादगीर				
	गांव का नाम: यारगोल				
1	335	निजी	एग्रीकल्चर ड्राई	0.01	कमलाम्मा w/o सन्ना निंगप्पा (335)
2	336 / 1	निजी	एग्रीकल्चर ड्राई	0.091	निंगप्पा बेटा बासवराज, रमेश बेटा बासवराज, अशोक बेटा बासवराज (336 / 1)
			कुल	0.101	

[फा. सं. 4346E/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2021

S.O. 125(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.2658 dated 07.08.2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four laning etc.), Maintenance, management and operation of

National Highway No.150 on the stretch of land from Km 34.00 to Km 70.90 (Kalaburagi-Wadi-Yadgir section) in the district of YADGIR in the state of KARNATAKA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Kannada Prabha” and “Indian Express” both dated 14.10.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 34.00 to Km 70.90 (Kalaburagi-Wadi-Yadgir section) of National Highway No.150 in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA		District: YADGIR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Yadgir				
	Village: Yargol				
1	335	Private	Agriculture Dry	0.01	Kamamma w/o Sanna Ningappa 335
2	336 / 1	Private	Agriculture Dry	0.091	Ningappa s / o Basavaraj , Ramesh s/o Basavaraj , Ashok s/o Basavaraj 336 / 1
			TOTAL	0.101	

[F. No. 4346€/3D]

RAJESH GUPTA, Director